स्वदेशी की ताकत से भारत बनेगा दुनिया की महाशक्ति : भजनलाल शर्मा

प्रधानमंत्री मोदी का ''मेक इन इंडिया'' का उद्घोष बना आत्मनिर्भर भारत का आह्वान : मुख्यमंत्री

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वदेशी हमारी संस्कृति का हिस्सा है और यह हमारी सनातन परंपरा है। स्वदेशी की इसी ताकत से हमारा देश आत्मनिर्भर बनने के साथ ही दुनिया की महाशक्ति बनेगा। शर्मा शुक्रवार को जगतपुरा में स्वदेशी जागरण मंच के उद्यमी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि स्वदेशी और स्वावलंबन भारत की आत्मा में हजारों वर्षों से समाए हुए है। सदियों पहले जब यूरोप के देश व्यापार के नाम पर दुनिया में भटक रहे थे, तब भारत के मुर्शिदाबाद की मलमल, बनारस का रेशम, राजस्थान की लहरिया और बंधेज पूरी दुनिया के बाजारों की शान थे।उन्होंने कहा कि इसी पहचान और आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी जागरण मंच लगातार परिश्रम कर रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड का उद्घोष कर पुनर्जागरण का आह्वान किया है। कोरोना के समय हमारे देश ने दुनिया के कई देशों को दवाइयां और वैक्सीन भेजी। यह आत्मनिर्भर भारत की ताकत थी और प्रधानमंत्री की उस सोच का परिणाम भी जिसने भारत को उपभोक्ता से उत्पादक बनाने का कार्य किया था। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच के सहयोग और कार्यों से देश आत्मनिर्भरता में आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जगतपुरा में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से आयोजित उद्यमी सम्मान समारोह में भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का आगाजा किया।

- भजनलाल शर्मा ने कहा कि ''सदियों पहले जब यूरोप के देश व्यापार के नाम पर दुनिया में भटक रहे थे, तब भारत के मुर्शिदाबाद की मलमल, बनारस का रेशम, राजस्थान की लहरिया और बंधेज पूरी दुनिया के बाजारों की शान थे।''

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। विश्व में देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है। आज भारत रक्षा क्षेत्र से लेकर सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। यह प्रधानमंत्री की नीतियों, दृढ़ इच्छाशक्ति और देशवासियों की मेहनत का ही फल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े उद्योगों के साथ ही छोटे एवं स्थानीय उद्यमियोंसे आत्मनिर्भरता आती है। यही स्वदेशी की आत्मा और ग्रामोद्योग की ताकत है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की खरीददारी से उस उत्पाद से जुड़ीपूरी श्रृंखला को सहारा मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने स्थानीय उत्पादोंको बढ़ावा देने के लिए पंच गौरव कार्यक्रम लागू किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। जिसके तहत 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश एमओयू हुए। इनमें से 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हस्तशिल्प कला भी हमारी पहचान है, जिसके उत्पादों की विश्व में मांग है। वहीं किले, महल, अभ्यारण्य और मंदिरों से हमारा पर्यटन क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी की हवेलियों हमारी धरोहर है।हमारी सरकार इन हवेलियों को चिन्हित करते हुए इनके संरक्षण का काम कर रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक आर. सुंदरम, राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल, अखिल भारतीय महिला प्रमुख अर्चना मीणा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर प्रांत के संघचालक महेन्द्र सिंह मग्गोसहित प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।

राजस्थान विधानसभा में पारित हुआ ''डिस्टर्ब एरिया बिल''

दंगा-सांप्रदायिक तनाव वाले इलाकों में एडीएम-एसडीएम की मंजूरी के बिना प्रॉपर्टी खरीद-बेच नहीं सकेंगे

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। विधानसभा में शुक्रवार को बहस के बाद डिस्टर्ब एरिया बिल पारित कर दिया गया। ''द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फोर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेन्ट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026'' के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार दंगा प्रभावित इलाकों को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकेगी। डिस्टर्ब एरिया में एडीएम या एसडीएम की मंजूरी के बिना कोई भी प्रॉपर्टी की खरीद और बेचान नहीं हो सकेगा, न रजिस्ट्री हो सकेगी।

बिल के प्रावधानों के अनुसार, दंगा प्रभावित और जनसंख्या असंतुलन से हिंसा के हालात बनने पर एक क्षेत्र, कॉलोनी या वार्ड को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाएगा। क्षेत्र विशेष को डिस्टर्ब एरिया घोषित किए जाने के बाद वहां एडीएम-एसडीएम की मंजूरी के बिना प्रॉपर्टी की खरीद-बेचान नहीं किया जा सकेगा। बिना अनुमति अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो भी जाता है तो उसे अमान्य कर शून्य घोषित किया जा सकेगा। बिल में समुदाय विशेष की जनसंख्या बढ़ने और डेमोग्राफी प्रभावित होना भी डिस्टर्ब एरिया घोषित करने का आधार बन सकता है।

- बिल के प्रावधानों के मुताबिक एडीएम-एसडीएम की मंजूरी के बिना अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो भी जाता है तो उसे अमान्य कर शून्य घोषित किया जा सकेगा।
- इस बिल में समुदाय विशेष की जनसंख्या बढ़ने और डेमोग्राफी प्रभावित होना भी डिस्टर्ब एरिया घोषित करने का आधार बन सकता है। हालांकि बैंकों और वितीय संस्थानों के पास गिरवी प्रॉपर्टी पर कानून लागू नहीं होगा।

बाजार दर से कम पर प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी

ऐसे इलाकों में एडीएम-एसडीएम से मंजूरी मिलने के बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकेगी। डिस्टर्ब एरिया में एडीएम-एसडीएम संबंधित प्रॉपर्टी के बारे में पूरी रिपोर्ट ली जाएगी। अफसर यह सुनिश्चित करेंगे कि बाजार कीमत से कम में प्रॉपर्टी नहीं बिके। किसी दबाव में या स्थानीय लोगों के दबाव में प्रॉपर्टी नहीं बिके यह भी जांच होगी। डिस्टर्ब एरिया में एडीएम-एसडीएम प्रॉपर्टी खरीद-बेचान के आवेदन पर 3 महीने में फैसला करेंगे, इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकेगा।

कानून के उल्लंघन पर सजा व जुर्माना

राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन पर 3 से 5 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना कानून के इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होगा, जिसमें 3 साल से 5 साल तक जेल और जुर्माने की सजा होगी। साथ ही 1 लाख तक जुर्माना भी लगेगा।

हालांकि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रॉपर्टी गिरवी होने पर यह कानून लागू नहीं होगा। डिस्टर्ब एरिया में गिरवी प्रोपर्टीज को बैंक और एनबीएफसी नीलाम कर सकेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री एवं कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि, दंगे नहीं तो डिस्टर्ब एरिया घोषित नहीं होगा। प्रॉपर्टी का बाजार मूल्य मिल रहा है या नहीं, बाजार मूल्य से कम नहीं मिले। अफसर यह देखेगा कि प्रॉपर्टी बाजार मूल्य से कम में नहीं मिले। यह कानून कमजोर लोगों की रक्षा करता है। पटेल ने कहा कि जोधपुर में एक ऐसा भी क्षेत्र है, जहां कोई घुस नहीं सकता। राजस्थान में ऐसे क्षेत्र लगातार बढ़ रहे हैं।

कांग्रेस सत्ता में आई तो खत्म करेंगे कानून : डोटासरा

जयपुर (विसं)। डिस्टर्ब एरिया बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में कहा कि, ''2028 में कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इस बिल को खत्म करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि, सरकार धार्मिक उन्माद फैलाकर ऐसे बिल लाकर बहुसंख्यक वोटों को अपनी तरफ करके गुजरात का मॉडल यहां पर अपनाने जा रही है। जमीन जायदाद पर सरकार की नजर है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। संपत्ति खरीद बेचने के अधिकार संविधान से हमें मिले हैं। इस पर सरकार का नियंत्रण करना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए शांत क्षेत्र को अशांत करने का षड्यंत्र है।''

डोटासरा ने कहा कि डिस्टर्ब एरिया कौन सा होगा, समुदाय विशेष कौन सा होगा ,जिससे डिस्टर्ब करना चाहते हो? 2028 में कांग्रेस सत्ता में आएगी, हम इस बिल को खत्म करेंगे। राजस्थान में यह परंपरा है, अगली बार हम आएंगे। राजस्थान में आपकी सरकार है फिर भी ऐसा बिल लाकर राजस्थान को क्यों जलाना चाह रहे हो।डोटासरा ने कहा कि इस बिल के जरिए आप समुदाय विशेष को इंगित करना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है? कानून में मंशा स्पष्ट करनी पडेगी, जो नहीं की गई है। इस बिल की धारा 5 में जिस तरह के प्रावधान है, उससे भ्रष्टाचार के दरवाजे खुल जाएंगे। कोर्ट में भी नहीं जा सकेंगे।

बूंदी के कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने तो बहस के दौरान यहां तक कह दिया कि, ''अगर राजस्थान में सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उसकी जिम्मेदार मौजूदा सरकार होगी।'' उनकी इस टिप्पणी के बाद सदन में माहौल गर्मा उठा, मंत्री अविनाश गहलोत और पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी समेत सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों ने उनके बयान पर कड़ी नाराजगी जताई।

कलेक्टर और एसपी ने क्या कोर्ट को पोस्ट ऑफिस समझ रखा है : हाईकोर्ट

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने पैरोल प्रार्थना पत्रों को लापरवाही से खारिज करने से जुडे मामले में भरतपुर कलेक्टर और एसपी पर नाराजगी प्रकट की। अदालत ने कहा कि आप लोगों ने कोर्ट को क्या पोस्ट ऑफिस समझ रखा है। आपके इसी रवैये के चलते कोर्ट में पैरोल से जुडे प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं और हम जरूरी मामलों की सुनवाई नहीं कर पाते हैं। जस्टिस महेन्द्र गोयल व जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह टिप्पणी शुक्रवार को अनिल कपूर उर्फ रिंकू की याचिका पर सुनवाई करते हुए की।

सुनवाई के दौरान अदालत आदेश की पालना में भरतपुर कलेक्टर व एसपी कोर्ट में हाजिर हुए। अदालत ने दोनों अफसरों को कहा कि वे इन मामलों में अपना मस्तिष्क काम में क्यों नहीं लेते हैं। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता कैदी 12 साल की सजा काट चुका हैं और वह पिछले 4 साल से ओपन जेल में हैं, लेकिन एक पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पर आप लोगों ने भरोसा कर लिया। आपने अपना मस्तिष्क इस्तेमाल नहीं किया। यदि आप किसी चीज को लेकर आशंका जता रहे हैं तो उसके ठोस सबूत भी पेश करें। वहीं कलेक्टर की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता की 20 दिन की पैरोल मंजूर कर ली गई है। इसके साथ ही एसीएस गृह और डीजीपी की ओर से विधानसभा सत्र में व्यस्त होने का हवाला देते हुए उपस्थिति से छूट चाही। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि कई बार दोनों अफसरों को इस व्यवस्था में सुधार के लिए कहा जा चुका है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे में वे 16 मार्च को पेश होकर इस लापरवाही पूर्ण रवैये पर अपना स्पष्टीकरण दें और साथ ही भविष्य में ऐसी लापरवाही से बचने के उपायों के बारे में भी बताए। मामले से जुडे अधिवक्ता गोविंद प्रसाद रावत ने बताया कि याचिकाकर्ता कैदी का आचरण संतोषजनक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भरतपुर के संयुक्त निदेशक ने भी रिपोर्ट में पैरोल देने की सिफारिश की थी, लेकिन भरतपुर एसपी की रिपोर्ट पर उसे पैरोल नहीं दी गई। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चारों अफसरों को तलब करते हुए याचिकाकर्ता के पैरोल पर विचार करने को कहा था।

भट्टा बस्ती में जुमे की नमाज के दौरान ढही मस्जिद की दीवार, 15 नमाजी घायल हुए

छह लोगों की हालत गंभीर, घायलों को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजधानी के भट्टा बस्ती थाना इलाके में स्थित फिरदौस मस्जिद में शुक्रवार दोपहर जुमे की नमाज के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मस्जिद की एक दीवार अचानक भरभराकर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से करीब पन्द्रह नमाजी घायल हो गए। हादसे के समय मस्जिद में सैकड़ों लोग मौजूद थे। दीवार गिरते ही मस्जिद परिसर में अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार सुनाई देने लगी।

एडिशनल डीसीपी नॉर्थ बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे जुमे की नमाज समाप्त होने के बाद कुछ नमाजी मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, जबकि कुछ लोग वजूखाने के पास भीड़ कम होने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान अचानक दीवार का एक हिस्सा ढह गया और वहां खड़े लोग मलबे की चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद नमाजियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और मलबा हटाकर घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद घायलों को ई-रिक्शा, ट्राई साइकिल और अन्य वाहनों की मदद से तुरंत कांवटिया अस्पताल पहुंचाया गया। भीड़ अधिक होने के कारण राहत कार्य में कुछ देर तक मुश्किल भी आई, लेकिन स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी घायलों को जल्द अस्पताल पहुंचा दिया गया।

- चीख-पुकार के बीच लोगों ने खुद शुरू किया रेस्क्यू, मलबे से लोगों को बाहर निकाला
- हादसे की सूचना पर भट्टा बस्ती पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया

भट्टा बस्ती इलाके में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद की दीवार ढहने से एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

कांवटिया अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आर.एस. तंवर ने बताया कि कुल 15 घायलों को अस्पताल लाया गया था। इनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल रेफर किया गया, जबकि मामूली चोट वाले लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं गंभीर घायलों में रुस्तम (40), ईशान (34), खुर्शीद (25), सुहैल (25), इमाम जफर (20) और इकबाल (18) शामिल हैं।

एसएमएस अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉ. जगदीश मोदी ने बताया कि 11 घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से तीन मरीज आईसीयू में भर्ती हैं, जबकि आठ का इलाज मास कैजुअल्टी वार्ड में चल रहा है।

हादसे की सूचना मिलते ही भट्टा बस्ती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस के अनुसार मस्जिद की दीवार का केवल एक हिस्सा गिरा है, जिससे बड़ा जानी नुकसान टल गया। प्रारंभिक जानकारी में दीवार के कमजोर होने और उस पर अचानक अतिरिक्त दबाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की तकनीकी जांच कर रही है और सुरक्षा के मद्देनजर मस्जिद के प्रभावित हिस्से की घेराबंदी कर दी गई है। साथ ही पुलिस ने पुरानी इमारत में सावधानी बरतने की अपील की।

इधर घटना की जानकारी मिलने पर विधायक अमीन कागजी, विधायक हाकम अली और असरार कुरैशी भी विधानसभा से सीधे एसएमएस अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

फिरदौस मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों का कहना है कि जुमे की नमाज के बाद अचानक बच्चे भागने लगे तो दीवार पर अतिरिक्त लोड पड़ गया व दीवार गिर गई। जहां दीवार गिरी है। उस जगह चप्पलें उतारी जाती हैं, लेकिन लोग नमाज पढ़कर निकल रहे थे तो उन पर दीवार गिर गई।

जयपुर शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आरआर तिवाड़ी ने कहा कि ईश्वर का शुक्र है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। कुछ लोगों के चोट लगी, जिनका उपचार चल रहा है।

गौरतलब है कि जुमे की नमाज का इस्लाम में विशेष महत्व है। इसी के चलते जुमे की नमाज पर अन्य दिनों के मुकाबले भीड़ ज्यादा होती है।

डेगाना में दरी पट्टियों की खरीद पर सदन में हंगामा

शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निलंबित करते हुए पूरे प्रकरण की जांच की घोषणा की

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दों पर तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला। सबसे ज्यादा चर्चा डेगाना विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में दरी पट्टियों की खरीद को लेकर हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तत्कालीन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को निलंबित करने के आदेश देते हुए पूरे प्रकरण की जांच कराने की घोषणा की। प्रश्नकाल के दौरान डेगाना से विधायक अजय सिंह किलक ने भेरूंडा क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में दरी वितरण में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां अधिक दरी की जरूरत थी, वहां कम दरियां खरीदी गईं और वितरण में भी गडबड़ी हुई।

किलक ने बताया कि वर्ष 2022-23 में विधायक कोष से 399 दरी पट्टियां वितरित करने का दावा किया गया था, लेकिन भेरूंडा सीबीईओ ब्लॉक में 171 दरियां दी जानी थीं, जबकि केवल 104 ही दी गईं। उन्होंने कहा कि करीब 5 लाख रुपए से अधिक कीमत की दरियां अब तक वितरित नहीं हुई हैं। इस संबंध में उन्होंने 17 दिसंबर 2022 का एक रिकॉर्ड पत्र भी सदन में पेश करने की बात कही, जिस पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भेरूंडा के प्रधानाचार्य और स्टोर इंचार्ज के हस्ताक्षर हैं। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि कई स्कूलों में जहां 200 से 300 छात्रों का नामांकन है, वहां केवल 10 15 फीट की एक दरी दी गई, जबकि कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहां नामांकन बहुत कम या शून्य है, वहां भी एक-एक दरी भेज दी गई। इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि दरी पट्टियों की खरीद में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं और इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि यह मामला पिछली कांग्रेस सरकार के समय का है और उस दौरान सरकारी धन की लूट हुई है। मंत्री ने मामले की जांच के आदेश देते हुए तत्कालीन बीईओ को निलंबित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि करीब 35 लाख रुपए की दरियां खरीदी गई थीं। उस समय के विधायक की सिफारिश पर स्कूलों के लिए दरी पट्टियां देने की बात थी, लेकिन बाद में उनकी जगह फर्श खरीदे गए। रिकॉर्ड के अनुसार 288 फर्श स्कूलों तक पहुंचे, जबकि 171 फर्श का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। मदन दिलावर ने आरोप लगाया कि उस समय के विधायक विजयपाल मिर्धा के कार्यकाल में जिन शिक्षकों ने दरी लेने से मना किया, उनके तबादले तक करवा दिए गए थे। इस पर उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने सवाल उठाया कि यदि संबंधित व्यक्ति अब भाजपा में शामिल है तो क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने जान दी

जयपुर । करधनी थाना इलाके में स्थित कनकपुरा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को एक युवक ने एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान करीब 35 वर्षीय युवक के रूप में हुई है। लेकिन पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि युवक ने अचानक स्टेशन पर आ रही एक्सप्रेस ट्रेन के सामने छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्टेशन परिसर में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर करधनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से घटना के बारे में जानकारी भी जुटाई। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मृतक की पहचान और उसके परिजनों की जानकारी जुटाने के साथ ही पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है।

10 मार्च तक जारी रहेगी विधानसभा की कार्यवाही

जयपुर (विसं)। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही अब 10 मार्च तक चलेगी। शुक्रवार को स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में हुई विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक में आगामी दिनों का कार्यक्रम तय किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 7 और 8 मार्च को विधानसभा की छुट्टी रहेगी, जबकि 9 और 10 मार्च को महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा कर उन्हें पारित कराया जाएगा। 9 मार्च को सदन में राजस्थान पंचायतीराज संशोधन बिल-2026 और राजस्थान आयुर्वेद एवं योग चिकित्सा विश्वविद्यालय बिल-2026 पर चर्चा होगी और बहस के बाद इन्हें पारित कराया जाएगा।

आई.ओ.आर.ए. इकोलोजिकल सोल्यूशन और कृषि विभाग के बीच सहमति बनी

जयपर (कासं)। कृषि विभाग और आईओआरए ईकोलोजिकल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के मध्य राजस्थान में एग्रीकल्चरल लैंड मैनेजमेंट कार्बन प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए सहमति हुई। इस प्रकार की गतिविधियों में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 के तहत् राजस्थान के किसानों को सुगमता से कार्बन फाइनेंस उपलब्ध कराने हेतु राज्य के चयनित ब्लॉकों में कार्बन उत्सर्जन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। इनमें कोटपुतली-बहरोड़ का बानसुर ब्लॉक, दौसा का महुवा और टोंक का मालपुरा ब्लॉक शामिल है। किसान पौधारोपण, सुक्ष्म सिंचाई, फार्म पौण्ड और सोलर पम्प जैसी कई कार्बन उत्सर्जन की गतिविधियां करता है। इन गतिविधियों से कृषकों को कुछ मात्रा में कार्बन फाइनेंस प्राप्त हो सकता है। इसे प्रदेश के तीन ब्लॉकों में प्रोबायो बेसिस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है, जिसे जल्द ही पूरे राज्य में लागू किया जायेगा। जिससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी। कार्बन क्रेडिट जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए बनाया गया एक आर्थिक और पर्यावरणीय तंत्र है।